

**FORM NO. III**फर्द अहकाम  
(नियम 26)नाम अदालत जिला कलक्टर अलवर मुकाम अलवर  
उनवान रामस्वरूप बनाम सरकार जरिये एसएचओ बडोदामेव अलवर  
किरम मुकदमा प्रार्थना-पत्र सुपुर्दगी आर बी एक्ट  
प्रा0पत्र नम्बर 15/30/2025 दायर दिनांक 25.04.2025

तारीख हुकम	हुकम की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
29.07.2025	<p>पत्रावली आज प्रार्थी वकील के प्रा0पत्र के आधार पर पेश हुई। वकील प्रार्थी उप0। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रकरण में जप्तशुदा वाहन पिकअप रजि0 संख्या आर.जे.-14-जी.पी.-8838 को सुपुर्दगी पर दिये जाने बाबत थानाधिकारी थाना बडोदामेव से अभिशंषा/टिप्पणी ली गयी। थानाधिकारी द्वारा पत्रांक 1156 दिनांक 18.05.2025 के द्वारा रिपोर्ट पेश कर अवगत कराया कि प्रकरण हाजा में जप्तशुदा वाहन पिकअप रजि0 संख्या आर.जे.-14-जी.पी.-8838 को नियमानुसार सुपुर्दगी पर रिलीज किया जावे तो कोई आपत्ति नहीं है। पुलिस थाना की अभिशंषा के आधार पर जप्तशुदा वाहन को सुपुर्दनामे पर दिये जाने हेतु प्रा0पत्र स्वीकार किया जाता है। यदि प्रार्थी 5,00,000/- (शब्देन पांच लाख रुपये मात्र) का सुपुर्दनामा एवं इसी कदर तस्दीकशुदा जमानतनामा पेश करे तथा जप्तशुदा वाहन यदि किसी अन्य प्रकरण में वांछित ना हो तो प्रार्थी को उक्त वाहन सुपुर्दनामे पर दिये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी सुपुर्दनामे पर दिये गये वाहन को खुर्द-बुर्द नहीं करेगा, जब भी उक्त वाहन की न्यायालय हाजा अथवा अन्य न्यायालय को आवश्यकता होगी तो वाहन को प्रस्तुत करना होगा। पत्रावली वास्ते पेश करने सुपुर्दनामा/तस्दीकशुदा जमानतनामा पेश करे। पत्रावली पूर्व से नियत दिनांक 05.08.2025 को पेश हो।</p>	

जिला कलक्टर  
अलवर